प्रेस विज्ञप्ति

02.07.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जालंधर ने रमन कुमार द्वारा कंपनी मैसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें वह एक कर्मचारी थे, के साथ की गई आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में रमन कुमार और उनके परिवार के सदस्यों की 71.13 लाख रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में राजस्थान के श्री गंगानगर में स्थित अचल संपत्तियां और एलआईसी पॉलिसी जैसी चल संपत्तियां शामिल हैं।

ईडी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की विभिन्न धाराओं के तहत रमन कुमार के विरुद्ध पुलिस स्टेशन फेज -1 एसएएस नगर पंजाब द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आलोक में मामले की जांच करने के लिए माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि रमन कुमार ने मेसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम करते हुए कंपनी के मौजूदा ग्राहकों के नाम पर फर्जी ऑर्डर जारी किए और मेसर्स इंडोफिल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के वितरकों को माल पहुंचाने के बजाय उन्होंने अपने द्वारा खोले गए प्रोपराइटरशिप कंसर्न में माल की डिलीवरी ली। फिर उसने गुप्त रूप से अन्य पार्टियों को सामान बेच दिया, जिनके साथ उसने सीधे लेन-देन विकसित किए थे। बिक्री की रकम कंपनी को कभी प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार उत्पन्न अपराध के आगमों (पीओसी) को उसके और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर चल/अचल संपत्तियों में निवेश किया गया था। मामले में अब तक पहचानी गई पीओसी 10 करोड़ रुपये है।

आगे की जांच जारी है।